कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री दिनेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल गुर्जर का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा (भूगोल) प्रतियोगी परिक्षा 2015 में चयनोपरान्त मेरिट क्रमांक 532 चयन वर्ग ओबीसीएम. एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा दिनेश कुमार गुर्जर को व्याख्याता भूगोल के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि. मकनपुरा छोटी सरवन, बांसवाडा में पदस्थापन आदेश जारी कर दिनांक 11.09.2017 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये । उक्त आदेश में अंकित निर्देश के अनुसार श्री गुर्जर को उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाप्रधान को प्रस्तुत करना था एवं संस्थाप्रधान द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संबंधित को कार्यग्रहण करवाया जाना था । श्री गुर्जर द्वारा उक्त पद पर दिनांक 09.09.2017 को कार्यग्रहण किया गया।

पीड़िता प्रार्थिया के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 31.05.2019 पर जांच उपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी श्री गुर्जर ने कार्यालय आदेश दिनांक 30.06.2017 की अनुपालना में दिनांक 09.09.2017 को राउमावि मकनपुरा छोटी सरवन, बासंवाडा में कार्यग्रहण किया तथा कार्यग्रहण करते समय हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जिसमें (पुलिस अधीक्षक स्तर) से जारी चरित्र का प्रमाण पत्र स्वंय के पास नहीं होने एवं दस दिवस के भीतर पेश करने का उल्लेख किया। तत्पश्चात दिनांक 19.09.2017 को संबंधित संस्थाप्रधान के समक्ष शपथ पत्र एवं पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा दिनांक 17.08.2017 को जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार अभ्यर्थी के विरूद्व मुकदमा संख्या 12/17 धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3, 1w(i), 3,2 (v) sc/st act. व 66 B IT Act. में थाना आबू पर्वत जिला सिरोही में दिनांक 02.02.2017 को दर्ज हुआ जिसके बाद अनुसंधान जरिए चार्ज शीट न. 29/17 दिनांक 30.05.2017 धारा 376 (2) (च) भारतीय दण्ड संहिता एवं 3,1 डब्लू (आई) 3,2 (5) एससी./एसटी. एक्ट में किता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया जो किन्यायालय में विचाराधीन है ।

शासन सचिव कार्मिक (क–2)विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. (1) कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर **बलात्संग के अपराध में अंतर्लिप्त** अभ्यर्थी का प्रकरण (विचारणाधीन) होने की दशा में अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु अपात्र माना है। साथ ही स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराध से संबंधित कोई भी **सूचना जानबुझकर छिपाने वालें अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र** माना जाएगा ।

इस संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2016)8 एससीसी 471 के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्वांत अनुसार अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की दोषसिद्वि, दोषमुक्ति, गिरफ्तारी अथवा आपराधिक प्रकरण की लम्बितता के संबंध में कोई बात छिपाई अथवा झुठी नहीं होनी चाहिये । नियोक्ता सरकार द्वारा आदेशों/निर्देशों/नियमों को कर्मचारी के संबंध में निर्णय लेते समय विचार कर सकता है ।

प्रकरण के तथ्यों अनुसार अभ्यर्थी ने 09.09.17 को कार्यग्रहण करते समय स्वंय के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर (ग्रामीण)द्वारा दिनांक 17/8/17 को जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र को जान बूझकर प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त प्रमाण पत्र अनुसार अभ्यर्थी के विरूद्व धारा 376 (2) च भारतीय दण्ड संहिता एवं 3, 1w(i), 3,2 (v) sc/st act. के गंभीर प्रकरणों के चालान पेश होकर **प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है** ।

उक्त स्थिति प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि अभ्यर्थी ने मात्र कार्यग्रहण करने के लिये अपने पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र को तत्समय पेश नहीं कर स्वयं के विरूद्व विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों को छिपाया और कार्यग्रहण कर 10 दिवस में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जो कि पूर्व में ही दिनांक 17/8/17 को जारी किया जा चुका था, पेश करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अभ्यर्थी इस बात से भली भांति अवगत था कि कार्यग्रहण करने के समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पेश पर नियमानुसार वह अपात्र माना जायेगा । संस्था प्रधान द्वारा दिनांक 22/11/2018 के द्वारा श्री गुर्जर को सत्यापन प्रमाणपत्र के संदर्भ में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया । श्री गुर्जर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्य कार्यग्रहण

Scanned by CamScanner

के समय प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में अलग होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है । नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त का पालन करते हुए उक्त कम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10/7/19 को श्री गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के पांच दिवस के भीतर व्यक्तिशः उपस्थित हो कर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये । श्री दिनेश कुमार गुर्जर द्वारा दिनांक 15/7/19 को व्यक्तिशः उपस्थित हो अपना प्रत्युत्तर के साथ दस दिवस का और समय देने का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जिस पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.07.2019 के द्वारा श्री गुर्जर को दिनांक 22.07.2019 का समय देते हुए अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। श्री दिनेश कुमार गुर्जर के द्वारा दिनांक 22.07.2019 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेज प्रस्तुत किये। श्री गुर्जर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में पूर्व में संस्थाप्रधान को प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिये गए तथ्यों की पुनरावृत्ति की है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण के पूर्ण तथ्यों पर गहन परीक्षण एवं जांच उपरांत स्पष्ट है कि कार्यालय आदेश दिनांक 30/6/19 की अनुपालना में श्री गुर्जर द्वारा संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करते समय कार्यग्रहण करवाने वाले कार्मिक/अधिकारी की लापरवाही के कारण (जिन्हें निलम्बित कर दिया गया) बिना पुलिस सदाचरण रिर्पोट प्रस्तुत किये एंव अपने विरूद्व **बलात्संग जैसे जघन्य अपराध** संबधी अन्वीक्षणाधीन, विचारणाधीन प्रकरण को छिपाकर कार्यग्रहण किया, साथ ही पश्चातवर्ती अवसर पर जो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें अभ्यर्थी के विरूद्व धारा **376 (2) च भादस.** एवं **3, 1w(i), 3,2 (v) sc/st act.** के प्रकरणों में चालान पेश होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

अतः राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 15/7/16 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत सघ व अन्य (2016) 8 एससीसी पत्र के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्वान्तों एवं विभागीय निर्देशों (**राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 नियम–12**) के अनुसरण में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जा सकता एंव कार्यग्रहण करवाते समय मात्र विभागीय कार्मिक की नियमो सम्बन्धी अनभिज्ञता का अपने पक्ष में लाभ प्राप्त कर नियुक्ति प्राप्त करने एवं बने रहने का हकदार नहीं बन सकता है । शिक्षक के गरीमामय पद हेतु उच्च चरित्रवान, सदाचारी, नैतिक दृष्टि से सबल एवं आदर्श व्यक्तित्व जरूरी है, जघन्य एवं गंभीर प्रकृति के अपराध में विचाराधीन श्री गुर्जर के सेवा में रहने से छात्रों के भविष्य के साथ–साथ अभिभावकों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। श्री गुर्जर परीवीक्षाकाल में है एवं नियुक्ति अस्थाई है। अतः एतद् द्वारा श्री दिनेश कुमार गुर्जर की नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य (AB INTIO) घोषित किया जाता है ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक : 24-07-2019

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/दिनेश गुर्जर/2019–20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना का प्रबोधन करें ।
6. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, छोटी सरवन, बांसवाडा को पाबंद किया जाता है कि उक्त आदेश की तत्काल अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाकर इस कार्यालय को अवगत करावें ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. प्रधानाचार्य राउमावि मकनपुरा–छोटी सरवन बांसवाड़ा को मय अतिरिक्त प्रति संलग्न प्रेषित कर पाबद किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार को आदेश तामील करवाकर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करावें ।
9. श्री दिनेश कुमार गुर्जर, द्वारा प्रधानाचार्य राउमावि मकनपुरा–छोटी सरवन, बासंवाड़ा ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner